चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 20.08.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की

(2). आज दिनाँक 20.08.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में श्रवण मास के दौरान शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया । पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी ।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री चक्रपाणि त्रिपाठी एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री जयकरन सिंह के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्री दुर्गविजय सिंह तथा उनकी टीम द्वारा युवती को शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म करने तथा गर्भपात कराने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि दिनाँक 17.08.2024 को एक वादिया द्वारा थाना मानिकपुर में सूचना दी कि रोहित सोनकर पुत्र प्रमोद उर्फ बौरा सोनकर निवासी शिवनगर कस्बा व थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट ने उनको शादी का झांसा देकर उनके साथ दुराचार किया है तथा पेट में गर्भ ठहर जाने पर गर्भपात करा दिया है। इस सूचना पर थाना मानिकपुर में मु0अ0सं0 153/2024 धारा 376,313 भादवि0 बनाम रोहित सोनकर उपरोक्त पंजीकृत किया गया। प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्री दुर्गविजय सिंह एवं उनकी टीम द्वारा अथक प्रयास करते हुये आज दिनाँक 20.08.2024 को अभियुक्त रोहित सोनकर उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

रोहित सोनकर पुत्र प्रमोद उर्फ बौरा सोनकर निवासी शिवनगर कस्बा व थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1.प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्री दुर्गविजय सिंह

2.आरक्षी दिनेश कुमार

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वाँछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम थानाध्यक्ष बहिलपुरवा श्री राम सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 महेन्द्र सिंह व उ0नि0 सुशीलचन्द निगम वारण्टी अभियुक्त भीम सिंह पुत्र मुखिया उर्फ कामता निवासी माराचंद्रा थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(5). आज दिनाँक 20.08.2024 को जिलाधिकारी चित्रकूट श्री शिवशरणप्पा जी.एन. एवं पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा उ0प्र0 पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा को सुचितापूर्ण सकुशल सम्पन्न कराने हेतु परीक्षा केन्द्र चित्रकूट इण्टर कालेज, राजकीय बालिका इण्टर कालेज कर्वी, गंगा प्रसाद जनसेवा इण्टर कालेज कर्वी को निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। इस दौरान जो भी कमियों पायीं गयी उन्हे अति शीघ्र पूर्ण कराने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया।

परीक्षा केन्द्र निरीक्षण के दौरान अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व श्री उमेश चन्द्र निगम, अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी,पीआरओ श्री प्रदीप कुमार पाल एवं अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

(6). आज दिनाँक 20.08.2024 को जिलाधिकारी चित्रकूट श्री शिवशरणप्पा जी0एन0 एवं पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह की उपस्थिति में कानून व्यवस्था एवं अभियोजन के कार्यो की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट के सभागार में संपन्न हुई। जिलाधिकारी ने एससी/ एसटी एक्ट, पॉक्सो एक्ट, दहेज अधिनियम, आयुध अधिनियम, महिलाओं एवं बालिकाओं के विरुद्ध अपराध, आईपीसी धारा, सत्र न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, अन्य अधिनियम, सम्मन तामिल, गवाहों की उपस्थिति, जमानत, एनडीपीएस एक्ट, टाप-10 अपराधी, गुंडा नियंत्रण, सड़क सुरक्षा,अवैध मादक पदार्थों की बिक्री पर पाबंदी, ओवर लोड वाहनों पर कार्यवाही,अबैध शराब पर प्रतिबंध आदि बिंदुओं पर विस्तृत समीक्षा करते हुए कहा कि महिला संबंधी मामलों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करें, उन्होंने अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व से कहा कि उप जिलाधिकारियों व पुलिस क्षेत्राधिकारियों एवं सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी की टीम गठित करके बिना परमिट वाले वाहनों के खिलाफ कार्यवाही कराकर चालान कराया जाए उन्होंने सभी उप जिलाधिकारियों व पुलिस क्षेत्राधिकारियों से कहा कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव को लेकर सतर्क दृष्टि रखते हुए अपने-अपने क्षेत्रों में कराया जाए।

पुलिस अधीक्षक ने थानाध्यक्षों को निर्देश दिए कि आर्म्स एक्ट के मामलों पर पुलिस की गवाही सुनिश्चित कराई जाए अगर कहीं पर कोई समस्या हो तो अवगत कराए उसका निस्तारण कराया जाएगा आप लोगों को जो सूची भेजी गई है उसमें सभी गवाही कराकर प्रत्येक दशा में इसी माह में निस्तारण कराया जाए सम्मन तामिल समय से कराया जाए।

बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व श्री उमेश चंद्र निगम, अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी, उप जिलाधिकारी कर्वी श्री सौरभ यादव, मऊ श्री राकेश कुमार पाठक, राजापुर श्री प्रमोद कुमार झा, मानिकपुर श्री पंकज वर्मा, पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर श्री राज कमल, क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय, क्षेत्राधिरकारी मऊ श्री जयकरन

सिंह, जिला प्रोबेशन अधिकारी श्री पंकज कुमार मिश्रा, जिला समाज कल्याण अधिकारी श्री ज्ञानेंद्र सिंह भदौरिया, जिला शासकीय अधिवक्ता श्री श्याम सुंदर मिश्रा सहित थाना प्रभारी व शासकीय अधिवक्तागण मौजूद रहे।

(7). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी व क्षेत्राधिकारी नगर श्री राज कमल के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष भरतकूप श्री प्रवीण कुमार सिंह के मार्गदर्शन में थाना भरतकूप पुलिस ने चोरी की घटनाओं का खुलसा करते हुये 01 चोर को चोरी के माल के साथ गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि दिनाँक 11.08.2024 को वादी श्री बुद्धविलास पुत्र जुगुल किशोर निवासी इटखरी थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट द्वारा थाना भरतकूप में सूचना दी कि किसी अज्ञात चोर ने उनके दो घरों से सोने चांदी के जेवरात, नकदी व लवलेश मौर्य की दुकान से किराना का सामान चोरी कर लिया है। इस सूचना पर थाना भरतकूप में मु0अ0सं0 117/2024 धारा 331(4),305 बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था। थानाध्यक्ष भरतकूप द्वारा उ0नि0 श्री अरविन्द सिंह को घटना के अनावरण हेतु निर्देशित किया गया था। उ0नि0 श्री अरविन्द सिंह तथा उनकी टीम द्वारा अथक प्रयास कते हुये आज दिनाँक 20.08.2024 को मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त लवलेश उर्फ ठोकिया पुत्र गरीबदास निवासी इटखरी थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से पीली धातु की 01 अदद सिल्ली 10.600mg, 01 सफेद धातु की सिल्ली 48.500mg, 01 अदद सफेट धातु की सिल्ली 31.990mg, 01 घड़ी, 460/- रुपये, 09 पैकेट रिफाइण्ड गोल्ड, 10 पैकेट निरमा, 03 पैकेट राजश्री गुटखा, 15 अदद लक्स साबुन बरामद हुआ। अभियुक्त द्वारा पूंछताछ में बताया कि उसने दिनाँक 11.08.2024 को ग्राम इटखरी से जो जेवरात चुराये थे उन्हें गला लिया था तथा चांदी के सामान की 02 सिल्ली व सोने के सामान के 01 सिल्ली बना ली थी तथा जो रुपये चुराया था वह मैने खर्च कर दिया है बस 460/- रुपये ही बचा है । अभियुक्त के कब्जे से चोरी के माल बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

लवलेश उर्फ ठोकिया पुत्र गरीबदास निवासी इटखरी थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट

बरामदगीः-

1.पीली धातु की 01 अदद सिल्ली 10.60mg,
2.सफेद धातु की 01 सिल्ली 48.500 mg,
3.सफेट धातु की 01 सिल्ली 31.990 mg,
4.घड़ी 01 अदद
5.चोरी का 460/- रुपये
6.रिफाइण्ड गोल्ड 09 पैकेट,
7.निरमा 10 पैकेट
8.राजश्री गुटखा 03 पैकेट
9.लक्स साबुन 15 अदद

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1.उ0नि0 श्री अरविन्द सिंह थाना भरतकूप
2.मुख्य आरक्षी शैलेन्द्र सिंह
3.आरक्षी अखिलेश तोमर

(8). आज दिनाँक 20.08.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा पुलिस लाइन्स स्थित कान्हा सभागार में उ0प्र0 पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा को सुचितापूर्ण सकुशल सम्पन्न कराने हेतु परीक्षा डियूटी में लगे अधिकारी/कर्मचारीगण की ब्रीफिंग की गयी। इस दौरान पुलिस अधीक्षक द्वारा समस्त अधिकारी/कर्मचारीगण को बताया

कि सभी बतायी गयी डियूटी पर निर्धारित समय पर पहुंचेगे, कोई भी लेट नहीं होगा। परीक्षा केन्द्र पर शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी पुलिस की है, इसलिये सभी सतर्कता के साथ डियूटी करेंगें।

ब्रीफिंग के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी, क्षेत्राधिकारी नगर श्री राज कमल, क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय, क्षेत्राधिकारी मऊ श्री जयकरन सिंह, समस्त थाना/चौकी प्रभारी तथा परीक्षा डियूटी में लगे समस्त पुलिस कर्मी उपस्थित रहे।

(9). आज दिनाँक 20.08..2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व श्री उमेश चंद्र निगम, अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी की उपस्थिति में पुलिस लाइन्स स्थित कान्हा सभागार में दिनाँक 23,24,25,30 तथा 31.08.2024 को होने वाली उ0प्र0 पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा डियूटी में पुलिस बल को ब्रीफ किया गया । उ0प्र0 पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा डियूटी में लगे हुये समस्त अधिकारी/कर्मचारीगण तय समय से डियूटी स्थल पर पहुंचकर अपनी डियूटी का निर्वहन करेंगें और कोई भी पुलिसकर्मी मोबाइल फोन का प्रयोग ड्यूटी के दौरान नही करेगा। चैकिंग व फ्रीक्सिंग में लगा पुलिस बल HHMD के साथ शालीनता के साथ गहनता से प्रत्येक अभ्यर्थी की तलाशी करेगा व प्रतिबंधित वस्तुओं को किसी भी स्थिति में परीक्षा केन्द्र के अन्दर नहीं जाने देगा साथ ही परीक्षा के पूर्व ही सभी चिन्हित परीक्षा केन्द्रो के 500 मी0 के एरिया में कोई भी साइबर कैफे,फॉटोकॉपी की दुकान न खुले यह सुनिश्चित कर लें। कोई भी पुलिसकर्मी परीक्षा केन्द्र से खाना,पानी के लिए कही नही जायेगा खाना,पानी आपको ड्यूटी स्थल पर ससमय दे दिया जायेगा। सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट,स्टेटिक मजिस्ट्रेट,केंद्र व्यवस्थापक,केंद्र प्रभारी पुलिस द्वारा उनके आवंटित केन्दों का भ्रमण कर लें किसी भी प्रकार कि परीक्षा केन्द्र पर अव्यवस्था न हो यह सुनिश्चित कर लें।
इस दौरान उपजिलाधिकारी सदर श्री सौरभ यादव,उपजिलाधिकारी राजापुर श्री प्रमोद झां, उपजिलाधिकारी मानिकपुर श्री पंकज वर्मा,क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय, क्षेत्राधिकारी नगर श्री , क्षेत्राधिकारी मऊ श्री जयकरन सिंह,एवं अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे ।

(10). आज दिनाँक-20.08.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता में पुलिस लाइन स्थित कान्हा सभागार में मासिक अपराध गोष्ठी आयोजित की गयी । मीटिंग में उपस्थित सभी थाना,चौकी/शाखा प्रभारियों के कार्यो का मूल्यांकन कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये ।
अपराध गोष्ठी में महोदय द्वारा थाना/चौकी प्रभारियों को निम्नलिखित दिशा-निर्देश दिये गयेः-
(i). पुराने लम्बित मुकदमों सहित वर्ष 2024 में पंजीकृत मुकदमों की गुणवत्तापूर्ण विवेचना के साथ शीघ्र निस्तारण के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये ।
(ii). बंदशुदा हिस्ट्रीशीट में अब तक मृतक हिस्ट्रीशीटर का अतिशीघ्र सत्यापन कर उनका HS खाका नष्ट कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया ।
(iii). अवैध खनन और अवैध परिवहन में सम्बन्धित विभाग से समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं।
(iv). ऑपरेशन कन्विक्शन एवं ऑपरेशन त्रिनेत्र के अन्तर्गत की जा रही कार्यवाही में प्रगति हेतु एवं कृत कार्यवाही से अवगत कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
(v) एससी/ एसटी एक्ट, पॉक्सो एक्ट, दहेज अधिनियम, आयुध अधिनियम, महिलाओं एवं बालिकाओं के विरुद्ध अपराध, भा0न्या0 संहिता धारा, सत्र न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, अन्य अधिनियम, सम्मन तामिल, गवाहों की उपस्थिति, जमानत, एनडीपीएस एक्ट, टाप-10 अपराधी, गुंडा नियंत्रण, सड़क सुरक्षा,अवैध मादक पदार्थों की बिक्री पर पाबंदी की जाए।
(vi) अबैध शराब पर प्रतिबंध आदि बिंदुओं पर विस्तृत समीक्षा करते हुए कहा कि महिला संबंधी मामलों पर त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित करें।

गोष्ठी में अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी, क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय, क्षेत्राधिकारी नगर श्री राज कमल, क्षेत्राधिकारी मऊ श्री जयकरन सिंह, प्रतिसार निरीक्षक श्री शिवनारायण, स्टेनो पुलिस अधीक्षक श्री विनोद कुमार मिश्रा एवं समस्त थाना/चौकी प्रभारी उपस्थित रहे।